

राजपुरा में बाना अविष्कृत के माफ़ि दिनांक
13.4.2018 को पेश किया जो दर्ज रजिस्टर है।
प्राथमिकी के लिए रजिस्ट्रार के कार्यालय पुनः
पेश किया गया है। प्राथमिकी वरन्त व लवी
आमन्दा दिनांक 25.11.2020 को पेश है।

दीप

25.11.2020

प्राथमिकी पेश हुई। मूल बांध अथवा पेशी
अथवा हाथी में खारिज किया जा चुका है। अतः
प्राथमिकी पर का अर्थ कोरि अर्थव्यय नहीं रहा। प्राथमिकी
पर प्रे कोरि का प्रवाह अपेक्षित नहीं होने के कारण
प्राथमिकी पर अन्तिम स्टेज पर खारिज किया गया है।
प्राथमिकी बांध निजी बांध रजिस्टर से अन्तर्गत
था किन्तु दर्ज है।

दीप

(दिवा)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)